

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
प्रार्थना पत्र संख्या

:- श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस
:- 119/2024

उनवान

1. पालाराम गुर्जर पुत्र श्री भंवर लाल गुर्जर उम्र 74 वर्ष
2. कजोड मल पुत्र मांगूराम जाति गुर्जर उम्र 65 वर्ष
समस्त जाति गुर्जर निवासी सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
2. रामधन पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर
3. किशोर सिंह पुत्र पाबूदान सिंह जाति राजपूत निवासी सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
4. नन्ही देवी पत्नी श्रवण जाति गुर्जर निवासी सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
5. लिछमा देवी पत्नी रामचन्द्र गुर्जर निवासी सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
6. नरसी पुत्र देबू गुर्जर
7. बंशीधर पुत्र देबू
8. मोहन लाल पुत्र देबू
9. रामेश्वर पुत्र देबू
10. शंकर लाल पुत्र देबू
11. शिवपाल पुत्र देबू
12. बाबूलाल पुत्र स्व. प्रभात
13. रामकरण पुत्र स्व. प्रभात
14. रामकुवांर पुत्र स्व. प्रभात
15. शंकर लाल उर्फ धोलूराम पुत्र स्व. प्रभात
16. शिम्मू पुत्र स्व. प्रभात
17. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
18. गोरा देवी पत्नी फूलाराम
19. मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र
20. मन्नी देवी पत्नी रामदेव
21. रामकरण पुत्र सरदारा
22. रामधन पुत्र हरसहाय
23. रामनारायण पुत्र सरदारा
24. रामेश्वर पुत्र सरदारा
25. संतोष कुमार पुत्र रामचन्द्र
26. गोपाल पुत्र बक्साराम
27. गोवर्धन पुत्र भगताराम
28. सोहन लाल पुत्र मोतीराम
29. पप्पू राम गुर्जर पुत्र श्री अर्जुन लाल गुर्जर
समस्त जाति गुर्जर निवासी सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0



— अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: .24.2.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ0 ख0 न0 453 रकबा 0.46 है0, 455 रकबा 0.07 है0, 456 रकबा 0.22 है0, 459 रकबा 0.27 है0, 460 रकबा 0.02 है0, 462 रकबा 0.26 है0,

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज0

466 रकबा 0.29 है0, 467 रकबा 0.20 है0, 468 रकबा 0.20 है0, 469 रकबा 0.24 है0, 470 रकबा 0.23 है0, 495 रकबा 0.32 है0, 499 रकबा 0.27 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.05 है0 वाकै ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर कारत करते चली आ रही है। उक्त आ0 ख0 न0 453 रकबा 0.46 है0, 455 रकबा 0.07 है0, 456 रकबा 0.22 है0, 459 रकबा 0.27 है0, 460 रकबा 0.02 है0, 462 रकबा 0.26 है0, 466 रकबा 0.29 है0, 467 रकबा 0.20 है0, 468 रकबा 0.20 है0, 469 रकबा 0.24 है0, 470 रकबा 0.23 है0, 495 रकबा 0.32 है0, 499 रकबा 0.27 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.05 है0 वाकै ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का उपतहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/2024/56 दिनांक 18.10.2024 की पालना में दिनांक 24.10.2024 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतविरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते हैं जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते हैं।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 11.11.2024 को अप्रार्थी सं. 12 की ओर से श्री अशोक कुमार गुर्जर एड. ने यू.टी. दी। दिनांक 19.02.2025 अप्रार्थी 12 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर वकील अप्रार्थी की यू.टी. खारिज गई, तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 29 की तामील हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के आदिनांक तक न्यायालय उपस्थित नहीं जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।


वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नहीं होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आ0 ख0 न0 453 रकबा 0.46 है0, 455 रकबा 0.07 है0, 456 रकबा 0.22 है0, 459 रकबा 0.27 है0, 460 रकबा 0.02 है0, 462 रकबा 0.26 है0, 466 रकबा 0.29 है0, 467 रकबा 0.20 है0, 468 रकबा 0.20 है0, 469 रकबा 0.24 है0, 470 रकबा 0.23 है0, 495 रकबा 0.32 है0, 499 रकबा 0.27 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.05 है0 वाकै ग्राम सुराना तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नहीं करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24.10.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नहीं हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2025 को सरै इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर